[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the /3 January, 2016

S.O(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the
Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 3 day of
January, 2016 as the date on which the provisions of sub-section (5), sub-section (6) [except
with respect to the manner of administration of the Investor Education and Protection
Fund] and sub-section (7) of section 125 of the said Act shall come into force.

[File No. 5/27/2013-IEPF (Part)]

(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, /3 जनवरी, 2016

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, /3 जनवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5), उपधारा (6) (विनिधानकर्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि के प्रशासन की रीति के बारे में छोड़कर) और उपधारा (7) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है।

[फाइल सं.- 5/27/2013-आईईपीएफ(पार्ट)]

अगरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार